"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब नाम	प्रतिवादी
वंशीलाल पुत्र खेताराम कुमावत सबलपुरा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद–पत्र = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्वि बाबत

वाद–पत्र नम्बर 270 / 2021 GCMS No. 2021/1031

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
2.12.2021	वादी श्री वंशीलाल पुत्र खेताराम जाति कुमावत निवासी सबलपुरा द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत चारणवास में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 ग्राम सबलपुरा पटवार मण्डल चारणवास के खाता नम्बर 347 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि वंशी पुत्र खेताराम दर्ज हैं, जो अशुद्व है। वादी का शुद्व नाम वंशीलाल पुत्र खेताराम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 200000675628 आधार नम्बर 843881970667 मतदाता पहचान पत्र – अन्य दस्तावेज – की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी चारणवास भू.अ.नि मिठड़ी एवं तहसीलदार कुचामनसिटी / नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पत्र जारी कर अमल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	1118-1120

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.31 17:22:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)